संख्या-76/2021/1016/22-2-2020-17(397)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 मई, 2021

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजपाल पुत्र श्री बरियार सिंह, निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27333/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-14-10-2020) दिनांक-02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजपाल पुत्र श्री बरियार सिंह, जो घुटारा, थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 16.03.2005 को अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ग्रामसभा की वोटर लिस्ट में ना शामिल कराने को लेकर हुई गाली-गलौज के कारण तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-165, 167/2005 भा0द0सं0 की धारा-302 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 04.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.08.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.08.2020 तक 15 वर्ष 04 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 11 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध घोर अपराधिक प्रवृति का होने, जिससे समाज में शान्ति व्यवस्थाप्रभावित होने, पुन: अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 16.03.2005 को ग्रामसभा की वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने को लेकर हुई गाली-गलौज के कारण तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा कारित अपराध घोर आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो समाज में शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, बन्दी शातिर किस्म का अपराधी होने व समाज में स्वच्छन्द रखना जनहित में न होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बृजपाल पुत्र श्री बरियार सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बृजपाल (बन्दी संख्या-23328) पुत्र श्री बरियार सिंह, निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-76/2021/1016(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मैनपुरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-76/2021/1016/22-2-2020-17(397)/2020

दिनांक 28 मई, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजपाल पुत्र श्री बरियार सिंह, जो घुटारा, थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 16.03.2005 को अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ग्रामसभा की वोटर लिस्ट में ना शामिल कराने को लेकर हुई गाली-गलौज के कारण तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-165, 167/2005 भा0द0सं0 की धारा-302 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 04.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.08.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.08.2020 तक 15 वर्ष 04 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 11 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध घोर अपराधिक प्रवृति का होने, जिससे समाज में शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने, पुन: अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 16.03.2005 को ग्रामसभा की वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने को लेकर हुई गाली-गलौज के कारण तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा कारित अपराध घोर आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो समाज में शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, बन्दी शातिर किस्म का अपराधी होने व समाज में स्वच्छन्द रखना जनहित में न होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बृजपाल पुत्र श्री बरियार सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in